न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 03/2023

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र पालाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम्

1. हरिसिह पुत्र भागमल जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर हनुमानगढ
2. सन्तलाल पुत्र भागमल जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
3. मीठू पुत्री भागमल जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

5. दलीपसिह पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
7. मैनावती पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
9. सन्तोदवी पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, सायलान
श्री हरिसिह सिहाग अधिवता अप्रा. न0 1 ,2

निर्णय दिनांक : 04/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 186 के प0न0 370/406(85) के किला न0 4 ता 7 /1.0120हैक प0न0 371/406(86) के किला न0 1 ,10/0.506हैक प0न0 372/409(187) के किला न0 6 ,7 ,14 ,15 ,16 ,17 ,24 /2.0240हैक प0न0 373/409(186) के किला न0 10 ,11/0.506हैक कुल 4.0480हैक भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी एव तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 10 प्रत्येक 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है

रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 495/495 के प0न0 372/409 (187) के किला न0 5/1 की 0.228हैक 5/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता कुल 0.506हैक भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 7 बारानी के प0न0 372/409(187) के किला न0 5/1 में उतर से दक्षिण चलकर अपने खेत के किला न0 6 में प्रवेश कर जाता है यही सायल के खेत में आने जाने के लिये सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता है

सायल एव तरतीबी अप्रार्थीगण का हमेशा से ही उक्त रास्ता से आवागमन होता रहा है इसके सिवाय कोई आवागमन का रास्ता नही है तथा ना ही स्वीकृतशुद्वा रास्ता है।

सायल द्वारा चाहा जा रहा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायल आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है इसलिये सायल उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल के खेत रोही मोजा चक 7 बारानी के प0न0 372/409(187) के किला न0 5/1 में उतर से दक्षिण एक –एक गठठा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 3 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई अप्रार्थी/गैरसायल संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की मु0न0 187 के किला न0 4 ,5 जहॉ से रास्ता चाहा गया है वो हमारे कब्जा काश्त में नही है बल्की राजाराम आदि धानक निवासी राजपूरिया के कब्जा काश्त में है बहामी बटवारा में उन्हे दी गई है जो इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है प्रार्थी के पिता पालाराम ने पूर्व में इसी रास्ता के सम्बध में धारा 251 का प्रार्थना पत्र प0न0 38/2013 पेश किया था जो बाद सुनवाई खारिज किया गया था तहसीलदार नोहर से मु0न0 187 के किला न0 4 ,5 के कब्जा काश्त की रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है जो मंगवाई जावे प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य/संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल/अप्रार्थी संख्या 1 ,2 का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी/सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल एव गेरसायल चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है सायल अपनी भूमि में जाने के लिये गेरसयालान की भूमि के किला न0 5/1 से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है जो स्वीकृत रास्ता से सायल की भूमि तक पहुचने के लिये सबसे छोटा एव सुविधजनक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये नही है अतः सायल का उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु रास्ता स्वीकार फरमावे।

अप्रार्थी/गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया मु0न0 187 के किला न0 4 ,5 जहॉ से रास्ता चाहा गया है वो हमारे कब्जा काश्त में नही है बल्की राजाराम आदि धानक निवासी राजपूरिया के कब्जा काश्त में है बहामी बटवारा में उन्हे दी गई है जो इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है प्रार्थी के पिता पालाराम ने पूर्व में इसी रास्ता के सम्बध में धारा 251 का प्रार्थना पत्र प0न0 38/2013 पेश किया था जो बाद सुनवाई खारिज किया गया था तहसीलदार नोहर से मु0न0 187 के किला न0 4 ,5 के कब्जा काश्त की रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है अतः सायल का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया विवेचन निम्नप्रकार से है :—

रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 186 के प0न0 370/406(85) के किला न0 4 ता 7 /1.0120हैक प0न0 371/406(86) के किला न0 1 ,10/0.506हैक प0न0 372/409(187) के किला न0 6 ,7 ,14 ,15 ,16 ,17 ,24 /2.0240हैक प0न0 373/409(186) के किला न0 10 ,11/0.506हैक कुल 4.0480हैक भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी एव तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 10 प्रत्येक 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है

रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 495/495 के प0न0 372/409 (187) के किला न0 5/1 की 0.228हैक 5/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता कुल 0.506हैक भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है सायल एवं गेरसायलान एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है।

सायल का कथन है की वह गेरसायल के किला न0 5/1 से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता आ रहा है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है गैरसायल का कथन है कि प्रार्थी/सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह गेरसयाल के कब्जा काश्त की भूमि ना होकर अन्य काश्तकार राजाराम आदि के कब्जा काश्त की भूमि है जिन्हे पक्षकार नही बनाया गया है तथा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र रास्ता

..2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत करवाने का खारिज किया जा चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खाजिर फरमावे।

गैरसायल का कथन की भूमि कब्जा काश्त में नही है स्वीकार योग्य नही है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किला न0 5 गैरसायलान के नाम से दर्ज है अर्थात गेरसायल के कब्जा काश्त की भूमि है तथा गैरसायल का कथन की पूर्व में रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है गैरसायल ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे पूर्व में प्रकरण विचाराधीन रहना साबित होता हो मात्र कथन किया गया कथनों के आधार पर गैरसायलान कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण के खेत से निकटतम दुरी पर स्वीकृतशुद्वा रास्ता प0न0 372/409(187) के किला न0 5/2 में से गुजरता है जिससे प्रार्थीगण की भूमि तक पहुचने का कोई स्वीकृत रास्ता नही है प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता प्रार्थी की भूमि में पहुचन के लिये नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा से स्पष्ट है कि स्वीकृतशुद्वा रास्ता प0न0 372/409(187) के किला न0 5/2 जो प्रार्थी की भूमि से केवल एक किला की दुरी पर है जो गैरसायल की भूमि है प्रार्थी को उसकी भूमि तक पहुचने के लिये गेरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी की भूमि स्वीकृत रास्ता से जुड जाती है जिससे प्रार्थी आसानी से अपनी भूमि में आवागमन कर सकता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को उसकी भूमि में पहुचने के लिये उपलब्ध नही है।

किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित हे किन्तु जहॉ से रास्ता दिया जा रहा है वह सायल व अन्य काश्तकारो के लिये उपयोगी हो और अन्य किसी काश्तकार के हित भी प्रभावित नही होते हो प्रार्थी ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह न्यायोचित है जिससे गैरयायल के हित भी प्रभावित नही हो रहे है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी को उसकी भूमि में पहुचने के लिये स्वीकृत रास्ता से आगे स्वीकृत रास्ता नही है इसलिये सायल गैरसायल के किला न0 5/1 में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो मौका रिपोर्ट अनुसार उचित प्रतीत होता है गैरसायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये कोई भी साक्ष्य पेश नही किये जिससे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य साबित होते हो मात्र कथन है कथनो के आधार पर सायल कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हे सायल को उसकी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

अतः सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की भूमि रोही मौजा चक 7 बारानी के प0न0 372/409(187) के किला न0 5/1 में उतर से दक्षिण एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी/सायल रास्ता में जीतनी भूमि आती हे उतनी भूमि गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए रास्ते को छोडते हुए देगा इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2025 / 685 दिनांक 4/6/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :— स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना—पत्र सं0 03 / 2023 निर्णय दिनांक 04/06/2025

अनवान :—

1. दयाराम पुत्र पालाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम्

1 हरिसिह पुत्र भागमल जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर हनुमानगढ
2. सन्तलाल पुत्र भागमल जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
3. मीठू पुत्री भागमल जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

5. दलीपसिह पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
7. मैनावती पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
9. सन्तोदवी पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राजपूरिया तहसील नोहर।

—गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के प0न0 372 / 409(187) के किला न0 5 / 1 में उतर से दक्षिण एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी / सायल रास्ता में जीतनी भूमि आती हे उतनी भूमि गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए रास्ते को छोडते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:51 IST
Reason: SelfAttested